रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937
No. 395] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/ MAGHA 26 , 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

का.आ. 465(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना/जोन जे के लिए क्षेत्रीय योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 मई, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 1333 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालिस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए, और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया ।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है ।

अध्यायवार संशोधन निम्नानुसार है :

तालिका 13.23: संचार सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा	अनुमत गतिविधियां
9.	मीडिया प्रशिक्षण केन्द्र सहित मी़डिया एवं समाचार एजेंसियां	ऐसा परिसर जिसमें मीडिया के सभी रूपों के प्रशिक्षण की / शिक्षा सहित अथवा उसके बिना प्रिंट, टेलीविजन एवं इंटरनेट, समाचार एकत्र करने तथा उनके प्रसार की सुविधा हो ।	मीडिया (प्रिंट, टेलीविजन एवं इंटरनेट), समाचार एकत्र करने तथा समाचारों के प्रसार प्रशिक्षण, सभा-भवन, पुस्तकालय, प्रेस क्लब, भोजन स्थान, स्नैक्स स्टॉल, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा आवश्यक स्टाफ के लिए रिहायशी आवास ।

तालिका 13.8 : संचार सुविधाओं के लिए योजना मानदण्ड और मानक

क्र.सं.	श्रेणी	जनसंख्या/इकाई (लगभग)	प्लॉट का क्षेत्रफल
5.	मीडिया प्रशिक्षण केन्द्र सहित मीडिया एवं सामाचार एजेंसियां	10 लाख	आवश्यकतानुसार

तालिका 13.9: संचार सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		तल कवरेज	एफएआर	ऊंचाई	
5	मीडिया प्रशिक्षण केन्द्र सहित मीडिया एवं समाचार एजेंसिया	35 प्रतिशत	150	26 मी0	1. विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल आवास हेतु एवं आवश्यक स्टॉफ के लिए आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम अनुमत तल क्षेत्रफल अनुपात का 30 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है । 2. तल क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग मी0 पर 1.33 ईसीएस की दर से पार्किंग मानक । यदि पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्रफल का दुरूपयोग किया जाता है तो इसे नगर निगम के अधीन कर दिया जाएगा/ प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाएगा । 3. तहखानों इत्यादि से संबंधित अन्य नियंत्रण, विकास संहिता अध्याय में दिए गए है ।

[फा. सं. के-12011/9/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2016

S.O. 465(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 1333 (E) dated 21.05.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/suggestions received with regard to the proposed modifications and was approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4 Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:

Table 13.23: Communication Facilities

S.No.	Use premises	Definition	Activities permitted
9.	Media & News Agency including Media Training Centre	A premise having facility of Print, Television & Internet, News gathering and News Dissemination with or without training/ education of all arms of media.	Facilities for media (print, television & internet), news gathering and news dissemination, training, auditorium, library, press club, dining area, snacks stall and hostel accommodation for students and residential accommodation for essential staff.

Table 13.8: Planning Norms and Standards for Communication Facilities

S.No.	**Category**	**Population/ Unit (approx.)**	**Plot Area**
5.	**Media & News Agency including Media Training Centre**	**10 Lakh**	**As per requirement**

Table 13.9: Development Controls for Communication Facilities

No.	**Category**	**Maximum**			**Other Controls**
		Ground Coverage	**FAR**	**Height**	
5	**Media & News Agency including Media Training Centre**	35%	150	26m	1. Upto 30% max. Permissible FAR can be used for hostel accommodation for the students and residential use for essential staff. 2. Parking standard @ 1.33 ECS/100sqm of floor area. The areas earmarked for parking if misused liable to be municipalized/ taken over by the authority. 3. Other controls related to basement etc. are given in the Development Code chapter.

[F. No. K-12011/9/2014-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.